A 4/7

न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः 67 / 2021

महेन्द्र सिंह पुत्र उगमसिंह, जाति राजपूत, धन्धा उचित मुल्य दुकानदार इकतारपुरा, पोस कोड 10824, तहसील चिडावा, जिला झुझुनूं राज0।

– अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील एक्ट निर्णय दिनांक 31.08.2021 द्वारा जिला रसद अधिकारी प्रकरण सं0 13 / 2021 उनवानी सरकार बनाम महेन्द्रसिंह

उपस्थित : –

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 13.12.2021

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरुद्ध पेश की है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों पर पेश है कि जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 31.08.2021 बाबत अपीलान्ट का उचित मूल्य की दुकानदारी लाईसेन्स को रदद करने का पारित करने विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। अपीलान्ट ने दुकानदारी लाईसेन्स के नियमों का कोई उल्लघन नही किया और महज प्रवर्तन अधिकारी चिडावा की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर लाईसेन्स रद्द किया गया है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं के समक्ष अपना पक्ष लिखित में मय सबूतो के पेश किया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है। सर्व विदित है कि गत वर्ष एवं 2021 में संसारभर में कोरोना की महामारी चल रही है जिसमें मानव जीवन खतरे में होने के कारण हर व्यक्ति अति चिन्तित चल रहा है और अपना जीवन बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इसी प्रकार से दिनांक 07.03.2021 प्रर्वतन निरीक्षक चिडावा योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियोजित प्रोग्राम के आधार पर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दुकान का निरीक्षण करने को आया और उस दिन अपीलान्ट को बुखार व तबीयत खराब होना प्रतीत हुआ तो अपीलान्ट हडबडाकर अपनी दुकान पर अपने लडके को छोडकर बगड में डाक्टर के पास स्वास्थ्य जॉच करवाने आया हुआ था। पीछे से अपीलान्ट का लडका सिर्फ दुकान की रखवाली हेतु बैठा था क्योकि यह दुकानदारी का कार्य नही जानता है तथा निरीक्षक ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित नही किया कि किस किस उपभोक्ता का माल विक्रय किया फिर भी जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का लाईसेन्स अनियमितता के आधार पर रदद करने का निर्णय गलत आधारों पर किया है। निरीक्षणकर्ता निरीक्षण रिपोर्ट गलत बनाने का मानस ही बनाकर आये थे और अपने साथ ग्राम केहरपुरा के उचित मुल्य दुकानदार जयनारायण को साथ लेकर आये वरना कोई गम्भीर अनियमितता निरीक्षण के बाद

(A4/2)

गई जाती तो नजदीक के डीलर को मौके पर बुलाकर निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर उन्हे माल सुपुदर्गी पर देने जैसा की ग्राम इकतारपुरा में ही दूसरा डीलर भी मौजूद था। निरीक्षक ने जॉच रिपोर्ट में 2444 किलोग्राम स्टॉक में ज्यादा पाया जाना बताया है जबकि स्पष्ट किया गया था कि यह गेहूं गांव के उपभाक्ताओं के ही है जिसको पोस मशीन में दर्ज कर रखा है किन्तु कृषि कार्य मे व्यस्त होने से उपभोक्ता गेहूं लेने नही आये और कहा कि उनका गेहूं सुरक्षित रखले तथा बाद में मूल्य चुकाकर गेहूं ले जायेगे। इस तरह से उपभोक्ता माल ले जाने में 2–4 रोज की देरी कर देता है या दुकान में तुलवाकर रखवा देता है तो व्यवहार स्वरूप कोई अनियमितता नही होती है। अपीलान्ट की दुकान में निश्चित स्टॉक के अगर गेहूं स्टॉक में कम पाया जाता तो माना जा सकता था कि उपभोक्ताओ को गेहूं ब्लेक में किसी दीगर को विक्रय कर दिया और किस तरह से अब उपभोक्ता को उनका हक के गेहूं वितरण करेगा। इस प्रकार से अपीलान्ट का उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स रदद कर इसे बेरोजगार बनाये जाने का निर्णय रेस्पोडेन्ट ने पारित किया है। उचित मूल्य की सूची प्रदर्शन नही करना व स्टॉक का बाहर अंकन नही करना महज अपीलान्ट की तबीयत खराब होने से मजबूरी रही है तथा यह गम्भीर आरोप भी नही है जिससे लाईसेन्स ही रद्द कर इस प्रकार से रोजी रोटी की सजा दी जावें। वरवक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर को दिनांक 02.02.2021 तक ही संधारण करना मानने में भूल की है क्योकि वरवक्त अपीलान्ट का लडका था जिसे दुकान के कागजात का पता नही था और उसके बाद अपीलान्ट ने सम्पूर्ण रिकार्ड व सबूत पेश की तो उनको सन्देह के आधार पर बाद में तैयार किया गया रिकॉर्ड मानने में भूल की है क्योकि वरवक्त अपीलान्ट मौजूद होता तो रिकार्ड का अवलोकन करवाता और रिकॉर्ड को उस वक्त साबित नही किया और बाद में पेश किया हो तो कल्पना की जा सकती है कि बाद मै तैयार किया है। इसलिए कल्पनाओं के आधार पर किसी को नुकसान नही पहुंचाया जा सकता। अपीलान्ट को उसका लाईसेन्स रदद कर इतनी बडी सजा नही दी जा सकती क्योकि आर्थिक दण्ड या वार्निग देकर भी छोडा जा सकता था। अपीलान्ट के खिलाफ इनके उपभोक्ताओ की कोई शिकायत नही रही है इसलिए उचित मूल्य विक्रय का लाईसेन्स बहाल होने योग्य है। बिना जांच किये तथा उपभोक्ताओं को पूछताछ किये बिना अपीलान्ट को 2444 किलों गेहूं का दुरूपयोग/गबन कर कालाबाजारी करना तथा अपने पक्ष में झूठें/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोपी मानने में भारी भूल की है। अपीलान्ट कई वर्षो से उचित मूल्य की दुकानदारी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लाइसेन्स रद्द हो जाने से इस उम्र में अपीलान्ट बेरोजगार हो जायेगा ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल किये जाने का आदेश करना न्यायोचित होगा। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश 31.08.2021 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकानदारी इकतारपुरा पास कोड 10824 तहसील चिडावा को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया किअपीलान्ट ने दुकानदारी लाईसेन्स के नियमों का कोई उल्लंघन नही किया और महज प्रवर्तन अधिकारी चिडावा की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर लाईसेन्स रद्द किया गया है। दिनांक 07.03.2021 प्रर्वतन निरीक्षक चिडावा योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियोजित प्रोग्राम के आधार पर अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दुकान का निरीक्षण करने को आया और उस दिन अपीलान्ट को बुखार व तबीयत खराब होना प्रतीत हुआ तो अपीलान्ट हडबडाकर अपनी दुकान पर अपने लडके को छोडकर बगड में डाक्टर के पास स्वास्थ्य जॉच करवाने आया हुआ था। पीछे से अपीलान्ट का लडका सिर्फ दुकान की रखवाली हेतु बैठा था क्योकि यह दुकानदारी का कार्य नही जानता है तथा निरीक्षक ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित नही

कया कि किस किस उपभोक्ता का माल विक्रय किया फिर भी जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का ाईसेन्स अनियमितता के आधार पर रदद करने का निर्णय गलत आधारों पर किया है। निरीक्षक ने जॉच रपोर्ट में 2444 किलोग्राम स्टॉक में ज्यादा पाया जाना बताया है जबकि स्पष्ट किया गया था कि यह गेहूं ांव के उपभाक्ताओं के ही है जिसको पोस मशीन में दर्ज कर रखा है किन्तु कृषि कार्य मे व्यस्त होने से उपभोक्ता गेहूं लेने नही आये और कहा कि उनका गेहू सुरक्षित रखले तथा बाद में मुल्य चुकाकर गेहूं ले जायेगे। इस तरह से उपभोक्ता माल ले जाने में 2–4 रोज की देरी कर देता है या दुकान में तुलवाकर रखवा देता है तो व्यवहार स्वरूप कोई अनियमितता नही होती है। अपीलान्ट की दुकान में निश्चित स्टॉक के अगर गेहू स्टॉक में कम पाया जाता तो माना जा सकता था कि उपभोक्ताओ को गेहूं ब्लेक में किसी दीगर को विक्रय कर दिया और किस तरह से अब उपभोक्ता को उनका हक के गेहूं वितरण करेगा। उचित मूल्य की सूची प्रदर्शन नही करना व स्टॉक का बाहर अंकन नही करना महज अपीलान्ट की तबीयत खराब होने से मजबूरी रही है तथा यह गम्भीर आरोप भी नही है। वरवक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर को दिनांक 02.02.2021 तक ही संधारण करना मानने में भूल की है क्योंकि वरवक्त अपीलान्ट का लडका था जिसे दुकान के कागजात का पता नही था और उसके बाद अपीलान्ट ने सम्पूर्ण रिकार्ड व सबूत पेश की तो उनको सन्देह के आधार पर बाद में तैयार किया गया रिकॉर्ड मानने में भूल की है क्योंकि वरवक्त अपीलान्ट मौजूद होता तो रिकार्ड का अवलोकन करवाता और रिकॉर्ड को उस वक्त साबित नही किया और बाद में पेश किया हो तो कल्पना की जा सकती है कि बाद मे तैयार किया है। अपीलान्ट को उसका लाईसेन्स रदद कर इतनी बडी सजा नही दी जा सकती क्योकि आर्थिक दण्ड या वार्निग देकर भी छोडा जा सकता था। अपीलान्ट के खिलाफ इनके उपभोक्ताओ की कोई शिकायत नही रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश 31.08.2021 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकानदारी इकतारपुरा पास कोड 10824 तहसील चिडावा को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस के दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने वकील अपील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान अपीलान्ट के पास 2444 किलोग्राम गेहूं स्टॉक से अधिक पाया गया था। अपीलान्ट/राशन डीलर अपने पास स्टॉक से अधिक राशन सामग्री नही रख सकता। जांच के दौरान दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची भी अपीलान्ट द्वारा प्रदर्शित नही करना पाया गया था। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र अनियमितताऐं पाये जाने पर निरस्त किया गया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार है यथा :–

1. अपीलान्ट का तर्क है कि प्रवर्तन निरीक्षक चिड़ावा द्वारा निरीक्षण दिनांक 07.03.2021 के दौरान अपीलान्ट की तबीयत खराब होने से वह मौके पर उपस्थित नहीं था। मौके पर अपीलान्ट का पुत्र उपस्थित था। अपीलान्ट की दुकान पर 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाई गई थी, जिसके संबंध में न्यायालय हाजा ने दिनांक 26.07.2021 को आदेश पारित कर दिया था । अपीलान्ट द्वारा कालाबाजारी नहीं की गई है। अपीलान्ट की कोई शिकायत भी नहीं है। अधिक पाये गये गेहूं उपभोक्ताओं के थे। उक्त तर्को के संबंध में विभागीय पैरोकार का तर्क यह रहा है कि निरीक्षण के दौरान अपीलान्ट के स्टॉक में 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये गये है राशन डीलर स्टॉक से अधिक राशन सामग्री नही रख सकता।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

2. हम विभागीय पैरोकार के तर्क से सहमत है कि अपीलान्ट को स्टॉक से अधिक गेहूं नहीं होना चाहिए था। स्टॉक से अधिक गेहूं रखना भी आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा कालाबाजारी किये जाने या कोई शिकायत नहीं होने के संबंध में विभागीय पैरोकार ने कोई तर्क नहीं दिया है और न विरोध किया है। उक्त जप्त किये गये 2444 किलोग्राम को न्यायालय हाजा के प्रार्थना पत्र संख्या 213/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 द्वारा जप्ती के आदेश दिये गये है। ऐसे में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा।
3. अदालत मातहत ने अपीलान्ट की प्रतिभूमि राशि 1000/– जप्त राज किया है, जो सही है। चुंकि अपीलान्ट द्वारा अनियमिताऐं की गई है इसलिए अपीलान्ट की जप्त राज प्रतिभूति राशि 1000/– को जप्त रखते हुये उस पर 1000/– रूपये की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जाना उचित है।

अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलान्ट पर 1000/– की पेनल्टी जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 को आंशिक निरस्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा पेनल्टि राशि 1000/– तथा प्रतिभूति राशि 1000/– जमा करवाने पर उसका प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाता है। इसके साथ अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है वह भविष्य में नियमानुसार राशन वितरण का कार्य करें। रिकार्ड मातहत मय आदेश के प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
13/12/21